न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रा.पत्र मुन्त. / 08 / 2023

1—श्रीमति तारा पत्नि जोगेन्द्र पुत्र गोविन्दा जाति गुर्जर निवासी सुंदरावली,थाना नगर जिला भरतपुर हाल वासी नंगला चिरावडा देवी का थान तहसील व थाना नौगांवा जिला अलवर राज0

.........प्रार्थी

बनाम

1—राजरथान राज्य सरकार जर्ये लोक अभियोक,भरतपुर
2—श्री जोगेन्द्र सिंह पुत्र करतार सिह जाति गुजर निवासी सुंदरवाली थाना नगर, जिला भरतपुर
3—उपखण्ड मजिस्ट्रेट नगर जिला भरतपुर

.........अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली अन्तर्गत धारा 410 जाप्ता फौजदारी बावत प्रार्थना पत्र जोगेन्द्र सिंह बनाम जगराम व अन्य कार्यवाही अन्तर्गत धारा 97 जाप्ता फौजदारी मुं.नं. 1372 / 2022 जैर तजबीज न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नगर जिला भरतपुर

उपस्थितः—
1—श्री माखनसिंह, अभिभाषक प्रार्थी,

निर्णय **दिनांक 02.08.2023**

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया गया, संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि गैर सायल संख्या 2 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 जाप्ता फौजदारी का दिनांक 22.12.2022 को अधीनस्थ न्यायालय एस.डी.एम. नगर के समक्ष उनवानी जोगेन्द्र सिंह बनाम जगराम व अन्य पेश किया है जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर थानाधिकारी नगर को मिन सायला के विरुद्ध सर्च वारन्ट जारी किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। प्रार्थीया स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना चाहती थी, लेकिन इससे पूर्व ही गैरसायल नं.2 व उसके अन्य रिश्तेदारों व परिवार के लोगों की ओर से खुली धमकी मिली कि जैसे ही सायला अपने किसी भी रिश्तेदार के साथ या अकेली अधिनस्थ न्यायालय में अपना रखने के लिए उपस्थित होगी,सायला का अपहरण कर उठाकर ले जावेगें व जान से खत्म कर देगें। सायला अपना पक्ष रखने के लिए अधीनस्थ न्यायालय नगर क्षेत्र में उपस्थित नहीं हो सकती है इसलिए सायला की सुरक्षा की दृष्टि से उक्त प्रार्थना पत्र की अग्रिम कार्यवाही हेतु किसी दीगर न्यायालय के यहां प्रार्थना पत्र धारा 97 जा.फो. को मुन्तिकल किया जावे।

..........2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी0 की तलब की गई एवं एस.डी.एम. नगर से टिप्पणी तलब की गई। एस.डी.एम. नगर से प्राप्त टिप्पणी शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थी नम्बर 2 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। उपस्थित योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय एस.डी.एम. नगर के यहां प्रार्थना पत्र धारा 97 जा.फो. विचाराधीन है। प्रार्थीया उक्त प्रकरण में स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना चाहती है, परन्तु गैरसायल नं.2 की धमकी से अपनी जान माल की सुरक्षा के कारण वहां उपस्थित नहीं हो सकती है। योग्य अभिभाषक का कहना है कि एस.डी. नगर के यहॉ विचाराधीन प्रकरण न्यायालय सीकर या किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल करने की कृपा करें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया योग्य अभिभाषक प्रार्थी के कथनों पर मनन किया। एस.डी.एम. नगर से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया गया। एस.डी. एम. नगर ने अपनी टिप्पणी में उल्लेख करते हुये अन्त में अंकित किया है कि प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 को बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आना यह जाहिर करता है कि उसे प्रकरण में कुछ नहीं कहना है। अस्तु प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :-

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाता है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट,नगर के न्यायालय में विचाराधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 जा.फो. उनवानी जोगेंन्द्र सिंह बनाम जगराम वगे. संख्या 1372/22 को उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सीकरी जिला भरतपुर के न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सीकरी एव उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 02-08-2023 को सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)